पत्रांक 1371 आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर0 / विधि–अनु0 / 2015–16

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 06 जून 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी उत्तराखण्ड।

विषयः– **e-Form 16 जारी / प्रयोग करने सम्बन्धी।**

1– विभाग द्वारा व्यापारियों को आयात किये जाने हेतु दिये जाने वाले फॉर्म–16 के सम्बन्ध में एक साफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत व्यापारी को बिना कार्यालय में आये फॉर्म–16 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की सुविधा की गयी है। अधिकारी द्वारा भी फॉर्म–16 ऑनलाइन ही सम्बन्धित व्यापारी को जारी किये जायेंगे। इस प्रकार जारी फॉर्मों को आगे e-Form 16 कहा जायेगा।

2– इस सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा अपने Login Password से फॉर्म हेतु आवेदन किया जायेगा, तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने Login Password से अपने कार्यालय में सॉफ्टवेयर द्वारा e-Form 16 जारी किये जाएंगे।

3– इस प्रक्रिया में व्यापारी को वर्तमान में जारी होने वाले प्रिन्टेड फॉर्म–16 जारी नहीं किये जाएंगे एवं न ही व्यापारी को आयात किए जा रहे माल के साथ e-Form 16 का प्रिन्टआउट ले कर चलने की आवश्यकता होगी।

4– चूंकि व्यापारी को प्रिन्टेड फॉर्म–16 जारी नहीं किये जायेंगे इसलिये उनके द्वारा कार्यालय में भी फार्म–16 का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5– इस प्रकार जारी होने वाले e-Form 16 के लिए व्यापारी से नियम–30 के अनुसार प्रति फॉर्म धनराशि प्राप्त की जाएगी।

6– प्रथम चरण में विभाग में पंजीकृत 64 ऐसे व्यापारियों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रु0 500 करोड़ से अधिक है। (सूची संलग्न)(**संलग्नक–01**)

7– इन व्यापारियों द्वारा दिनांक 16.06.2015 से विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फॉर्म–16 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिनांक 15.06.2015 तक यदि किसी प्रिन्टेड फार्म–16 की ट्रिपशीट तैयार कर दी गयी है, ऐसे फॉर्म–16 दिनांक 15.06.2015 के बाद भी आयात हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं किन्तु दिनांक 16.06.2015 से सिर्फ e-Form 16 ही प्रयोग किये जाने हैं।

8– e-Form 16 के लिये व्यापारी द्वारा आवेदन करने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी करने व व्यापारी द्वारा प्रयोग किए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के साथ संलग्न है।(**संलग्नक–02 व 03**)

अतः सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न सूची में से अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर इस आशय से अवगत

parivad

कराने तथा इस सम्बन्ध में होने वाली ट्रेनिंग में स्वयं व सम्बन्धित व्यापारियों व उनके ट्रांसपोर्टरों को भी प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस प्रक्रिया के शुरू होने पर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0सं0 971 /दिनांक :: उक्त ::
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमांउ जोन, रुद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर, (ऑडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
11– आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
12– Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर II Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र
13– National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
14– National Law Management House 15 /5 राजनगर, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश।
15– Swastik Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश।
16– Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड मेरठ उ0प्र0।
17– डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीजएसोसिएशनऑफउत्तराखण्डसर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज,मोहब्बेवालऔद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़, देहरादून।
20– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़, देहरादून।
21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्त0 सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81–मोती बाजार,
22– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार, देहरादून।
23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम, देहरादून।
24– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
25– समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

parivad

	GTO(State+Inter-State)	>	5000000000
S.No.	Sector	Tin	Firm Name
1	DEHRADUN DC I	5000363678	M/S MARICO LTD.
2	DEHRADUN DC V	5000400344	M/S RELIANCE INDUSTRIES LTD
3	DEHRADUN DC I	5000450687	M/S VOLTAS LTD.
4	DEHRADUN DC III	5000783979	M/S CANTEEN STORE DEPARTMENT
5	DEHRADUN DC V	5000801148	M/S AAYUKTA FOOD AND CIVIL SUPPLY
6	DEHRADUN DC IV	5000879039	M/S HEINZ INDIA (P) LTD.
7	DEHRADUN DC I	5000885441	M/S INDIAN OIL CORPORATIN LTD
8	DEHRADUN DC V	5001002035	M/S TATA MOTORS LIMITED
9	DEHRADUN DC V	5001004363	M/S TITAN COMPANY LIMITED
10	HALDWANI DC III	5001266166	M/S CENTURY PULP & PAPER
11	RUDRAPUR DC III	5001446683	M/S ASHOK LEYLAND LTD.
12	HALDWANI DC III	5001470836	M/S BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
13	HALDWANI DC III	5001529715	M/S HINDUSTAN UNILEVER LTD.
14	HALDWANI DC I	5001644175	M/S RECKITT BENCKISER (INDIA) LIMITED
15	HARDWAR DC II	5001728080	M/S AKUMS DURGS & PHARMACEUTICALS LTD.
16	HARDWAR DC I	5001757277	M/S BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
17	HARDWAR DC II	5001793652	M/S GENUS POWER INFRASTUCTURESS LIMITED
18	HARDWAR DC I	5001835265	M/S KUNDAN CARE PRODUCTS LIMITED
19	HARDWAR DC I	5001847196	M/S RSPL LIMITED
20	KASHIPUR DC II	5002528621	M/S INDIA GLYCOLS LTD.
21	KHATIMA DC I	5002707295	M/S POLYPLEX CORPORATION LTD.
22	KHATIMA DC I	5002707392	M/S ESTER INDUSTRIES LTD.
23	KOTDWAR DC I	5002831358	M/S KEDAR FILLING STATION
24	RISHIKESH DC I	5003490958	M/S DIXON TECHNOLOIES (INDIA) PVT. LTD.
25	RUDRAPUR DC I	5003571371	M/S NESTLE INDIA LIMITED
26	RUDRAPUR DC I	5003579228	M/S PERFETTI VAN MELLE INDIA PVT LTD
27	RISHIKESH DC I	5003639853	M/S THDC INDIA Ltd.
28	ROORKEE DC II	5003939680	M/S BHARAT PETROLIUM
29	ROORKEE DC II	5003995358	M/S HINDUSTAN PETROLEUM
30	HARDWAR DC I	5004002342	M/S ITC LTD
31	ROORKEE DC I	5004155408	M/S SHREE CEMENT LTD.
32	ROORKEE DC II	5004224278	M/S ASAHI INDIA GLASS LTD
33	RUDRAPUR DC III	5004411585	M/S BHAGWATI PRODUCTS LTD.
34	RUDRAPUR DC III	5004424777	M/S DABUR INDIA LTD. PANTNAGAR
35	RUDRAPUR DC I	5004442237	M/S GREEN PLY INDUSTRIES
36	KICHHA AC I	5004487439	M/S MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED
37	KICHHA AC I	5004553884	M/S SHEEL CHAND AGROILS PVT LTD LALPUR KICHHA
38	DEHRADUN DC VII	5005088160	M/S AMBER ENTERPRISES (INDIA) PVT. LTD.
39	HARDWAR DC I	5005439397	M/S ANCHOR ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
40	HARDWAR DC I	5005511468	M/S Havells India Limited
41	DEHRADUN DC IV	5005541732	M/S HEWLETT PACKARD INDIA SALES PRIVATE LIMITED
42	RUDRAPUR DC I	5006147982	M/S UNIVERSAL COMFORT PRODUCTS LIMITED
43	RUDRAPUR DC III	5006153220	M/S LLoyd Electric and Engg. Ltd.
44	RUDRAPUR DC I	5006246825	M/S BAJAJ AUTO LTD.
45	RUDRAPUR DC I	5006280096	M/S ROQUETTE RIDDHI SIDDHI PRIVATE LIMITED
46	ROORKEE DC II	5006663828	M/S KENT RO SYSTEMS LTD.
47	HARDWAR DC I	5006703598	M/S HERO MOTOCORP LTD
48	HARDWAR DC I	5006754814	M/S PATANJALI AYURVED LTD.
49	DEHRADUN DC V	5007021273	M/S PC JEWELLER LIMITED
50	HARDWAR DC II	5007132823	M/S BIRLA TYRES UNIT-2 FR KESORAN INDUSTIES LIMITED
51	ROORKEE DC II	5007215758	M/S FINOLEX CABLES LTD
52	HARDWAR DC I	5007234091	M/S ROCKMAN INDUSTRIES LTD.
53	RUDRAPUR DC I	5007253588	M/S DELTA POWER SOLUTION (INDIA) PVT LTD
54	HARDWAR DC I	5007432844	M/S HINDUSTAN ZINC LTD.
55	KASHIPUR DC I	5007437597	M/S TECHNO ELECTRONICS LIMITED
56	HARDWAR DC II	5007446133	M/S WIPRO ENTERPRISES LIMITED
57	RUDRAPUR DC I	5007643237	M/S TVS SRICHAKRA LIMITED
58	HARDWAR DC II	5007767591	M/S MUNJAL SHOWA LTD
59	KHATIMA DC I	5007827343	M/S BALAJI ACTION BUILDWELL
60	DEHRADUN DC V	5007885931	M/S SAP INDIA PVT. LTD.
61	HARDWAR DC I	5008354732	M/S MONTAGE ENTERPRISES PVT. LTD.
62	DEHRADUN DC IV	5008703350	M/S MICROMAX INFORMATICS LTD
63	RUDRAPUR DC II	5013053024	M/S M D OVERSEAS LIMITED
64	RUDRAPUR AC I	5013593023	M/S DIAMOND FOREVER INTERNATIONAL

e- Form-16 प्राप्त व प्रयोग करने से सम्बन्धित प्रक्रिया।

Step 1- व्यापारी विभागीय वेबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर उपलब्ध डीलर user Login ID पर Login करेंगे।

Step 2- तत्पश्चात खुलने वाली Window के बायी तरफ प्रदर्शित heading "Form-16" पर Click करने पर इसके अन्तर्गत निम्न options प्रदर्शित होंगे।

- request for Form-16
- View Request Applications
- generate Key for Form-16
- View Generated Key Number for Form-16
- Block Form-16
- Unblock Form-16

Step 3- व्यापारी द्वारा e- Form-16 को जारी कराने हेतु request for Form-16 का विकल्प चुना जायेगा, जिससे request for Form-16 का पेज खुलेगा, जिसमें सबसे ऊपर निम्न Options प्रदर्शित होंगे।

Make Request	Unutilized Form-16	Key Generated by Purchaser	Generated Purchase id Number	TripSheet Generated

Step 4- Make Request पर Click करते ही page पर नीचे Number of Forms Required एवं Expired, Cancelled or Blocked No. of Form 16 के बॉक्स खुल जायेंगे। Number of Forms Required के बॉक्स में व्यापारी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार फार्म की संख्या अंकित करके submit botton पर क्लिक करते ही request application कर निर्धारण अधिकारी के login में पहुंच जायेगी तथा कर–निर्धारण अधिकारी समुचित विचारोपरान्त निम्न प्रकार 3 Action ले सकता है:– (a) Accept (b) Reject (c) Hold अगर कर–निर्धारण अधिकारी Reject या Hold करेंगा तो उसके कारण का उल्लेख करेंगा, जो व्यापारी को प्रदर्शित होगा तथा व्यापारी नियमानुसार उसका समाधान करेंगा।

Step 5- व्यापारी दिये गये ऑनलाइन प्रार्थना पत्र का Status जानने के लिये View Request Applications के option पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर Request Applications Submitted by you and its Status का पेज खुल जायेगा एवं समस्त दी गयी applications एक grid में दिखाई देंगी। प्रत्येक application का Status, grid के दायी ओर Status के Column में प्रदर्शित होगा।

Step 6- व्यापारी द्वारा अपने login account में प्राप्त e- form- 16 के लिये Key No. जनरेट करने हेतु Generate Key for form-16 का विकल्प उपलब्ध है जिस पर Click करने पर Generate KEY NUMBER for the issued Form-16 का पेज खुल जायेगा, जिसके

सबसे नीचे Enter the number of Form-16 for which you want to generate Key Number के बॉक्स में ऐसे फार्म–16 की संख्या जिनकी key generate करनी है, की संख्या अंकित की जायेगी। इस प्रकार एक या एक से अधिक फार्म–16 हेतु key generate करने की सुविधा व्यापारी को दी गयी है। किसी एक विक्रेता व्यापारी के लिए एक से अधिक form Issue करने हेतु Generate Key for multiple Form-16 on a single click(if the seller is same for those form-16 is same) के Check Box में 'सही' का चिन्ह लगा कर, Show the issued Form-16 Button पर Click करेंगे।

Step 7 इसके उपरान्त उपरोक्त page के नीचे एक Table निम्न प्रकार प्रदर्शित होगी।

Select Form-16	Form-16 Serial Number
☐	Uk16B000000000000000000063 Uk16B000000000000000000063

इन Check Box मे Click करके अपनी जरूरत के अनुसार एक या एक से अधिक Form-16 को चिन्हित किया जा सकता है। फिर Generate Key for the above selected Form-16 Button को Click करेंगे।

Step 8 Click करने पर page के नीचे e-form-16 का प्रथम भाग Open होगा जहाँ व्यापारी को प्रान्त बाहर के विक्रेता व्यापारी का विवरण निम्न प्रारूप में भरना होगा:–

Form-16 Number:
Seller Tin : [ ]
Seller Name: [ ]
Seller Address: [ ]
Seller State: [◇]
Import: [◇]

[**submit to generate key Number**]

Seller State तथा Import से सम्बन्धित भरी जाने वाली सूचना Drop down list में प्रदर्शित होगी जिससे सम्बन्धित सूचना Select करने के उपरान्त Submit to Generate key Number Button पर Click करेंगे। जिससे इस Particular e-form-16 का Key No. जनरेट हो जायेगा, KEY Number Popup द्वारा Popup window में उसी समय व्यापारी को प्रदर्शित होगा।

Step 9 उपरोक्त के अतिरिक्त व्यापारी heading " Form-16 "के अन्तर्गत View Generated Key Number for Form-16 पर Click करने पर Generated KEY NUMBERs for the issued Form-16 पेज खुल जायेगा, जिसमें निम्न विवरण प्रदर्शित होंगे।

Form 16 Serial Number	Generated Key Number by Purchaser(You)	Generated Purchaser Id Number	Tripsheet Number	Seller TIN	Seller Name

Step 10- व्यापारी द्वारा e-Form-16 की Key Number generate करने के उपरांत प्रान्त बाहर से खरीद करने हेतु विक्रेता व्यापारी को फार्म–16 का सिरियल नं0 तथा उसका

generated key number उचित माध्यम से प्रेषित करेंगे। खरीद का विवरण भरने के लिये विक्रेता व्यापारी द्वारा http://comtax.uk.gov.in के Home Page मे दॉयी ओर नीचे लिखे Form-16 Details at Purchase Time में Click करने पर Form-16 Details Page open होगा। जिसमे e-Form-16 का नम्बर व उस फार्म–16 के Key Number को भरेंगे। इसके बाद Submit करने पर form-16 Open हो जाऐगा, जिसमें प्रान्त के व्यापारी द्वारा पूर्व में प्रान्त बाहर के विक्रेता व्यापारी का भरा हुआ Name, Tin, Address आदि विवरण प्रदर्शित होगा (जो अब बदला नही जा सकेगा)

Step 11- खरीद सम्व्यवहार से संबंधित Bill/Invoice Number, Invoice Date, Quantity (Drop down list से unit select करनी होगी) भरी जाएगी तथा इसके बाद खरीद वस्तु (Commodity) का विवरण भरने के लिए Search Commodity या Major Group of Commodity के Drop down list से Select किया जायेगा। जिसके बाद Commodity Name को Select करना होगा जिसमें आगे Commodity Name, Commodity Value, Specific Name of Commodity आदि विकल्प खुलेंगे, जिसका विवरण Fill किया जायेगा (**एक Major Group of Commodity की जितनी वस्तुऐं होगी उनको एक साथ Select कर fill किया जा सकता है।**) यदि इस Invoice में भिन्न Major Group of Commodity की वस्तु होगी तो Select Major Group of Commodity को Click करेंगे तथा पुनः उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नई Commodiy Details को भरा जा सकता है। इस प्रकार जब एक Invoice में सभी विवरण पूर्ण होगे तो इनको Save करने के बाद अगर व्यापारी द्वारा इसी e- Form-16 से इसी विक्रेता व्यापारी की दूसरी Invoice के माल का भी इन्द्राज किया जाना है तो Add More Invoice पर Click करके दूसरे Invoice का विवरण उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही विक्रेता व्यापारी की समस्त खरीद का विवरण भरने के बाद व्यापारी इसको Submit करेगा।

Step 12- Submit करने के उपरान्त Popup द्वारा Popup window में Purchase ID Number(PIN) प्रदर्शित होगा जिसको व्यापारी द्वारा Note करके transporter को दिया जाऐग, जिसका प्रयोग transporter द्वारा ट्रिपशीट बनाने में किया जायेगा।

यदि व्यापारी चाहे तो Submit करने से पहले Bilty व Transport से संबंधित विवरण भरने का विकल्प व्यापारी के पास होगा। लेकिन यह भरा हुआ विवरण बाद में बदला नही जा सकेगा। अगर व्यापारी Bilty या Transport से सम्बन्धित विवरण अभी नही भरता है तो यह विवरण Trip sheet बनाते समय Transporter द्वारा भरा जायेगा।

Step 13- Consignor द्वारा Transporter दी गयी उपरोक्त Purchase ID Number(PIN) का प्रयोग माल को प्रान्त भीतर लाने से पहले transporter द्वारा नियमानुसार Trip sheet बनाने में किया जायेगा। वर्तमान व्यवस्था में बनायी जा रही Tripsheet मे फार्म–16 का detail भरने हेतु दो विकल्प होंगे :–

- Regular Form-16
- e- form-16

Step 14- e-form-16 से आयात किये जा रहे माल के संबंध में 'e-Form 16' के विकल्प को Select करना होगा जिसके बाद नियत स्थान पर आयातक व्यापारी का टिन व संदर्भित Purchase ID Number(PIN) को भरा जायेगा तत्पश्चात Get GR Details पर Click करने पर GR से सम्बन्धित विवरण भरने हेतु Grid निम्न रूप से खुलेगी।

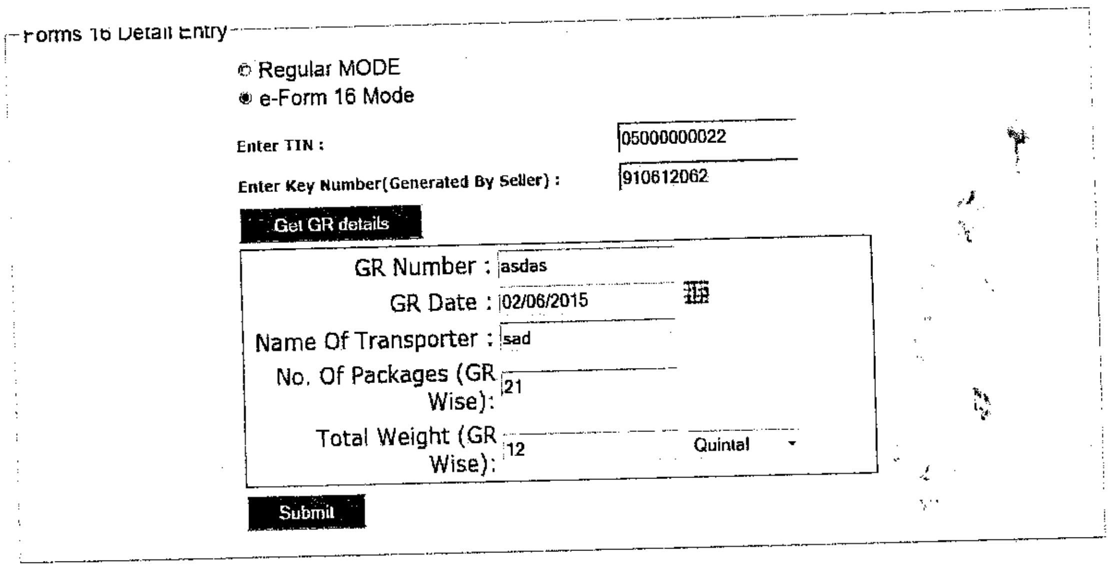

यदि consignor द्वारा Bilty या Transport से सम्बन्धित विवरण पूर्व में भरा जा चुका है तो यह विवरण उपरोक्त प्रदर्शित होगा तथा जो Column खाली है उनमें विवरण भरना होगा, जो विवरण पूर्व में भरे है उनमें कोई बदलाव सम्भव नही है। पूर्ण विवरण भरने के बाद Submit करना होगा जिससे e-Form- 16 मे पूर्व में भरा गया समस्त खरीद का विवरण Trip sheet में स्वतः प्रदर्शित होने लगेगा।

Step 15: ट्रिप शीट बनाने से पूर्व व key generate करने के उपरांत किसी भी समय व्यापारी किसी भी e-Form 16 को block कर सकता है। block करने की दशा में न तो consignor को online form-16 भरने हेतु उपलब्ध होगा और न ही इस फार्म की purchase id से ट्रिपशीट जनरेट होगी।

ऐसे फार्म–16 को block करने हेतु heading 'form-16' ने उपलब्ध block form16 के Option पर क्लिक करने पर block form-16 का पेज खुल जायेगा, जिसमें जारी किये गये फार्म–16 एक grid में प्रदर्शित होने लगेंगे। प्रत्येक फार्म के प्रारम्भ में एक चैक बॉक्स बना होगा जिसको select कर अथवा समस्त e-Form-16 को block करने की दशा में select all के option को चुनकर सबसे नीचे दिये बटनं Block all above selected Form- 16 के बटन को क्लिक करेंगे जिसको क्लिक करते ही चुने गये फार्म block हो जायेंगे।

Step 16: Blocked form को unblock करने हेतु unblock from-16 पर क्लिक करेंगे। इससे unblock from-16 का page खुल जायेगा जिसमें block किये गये फॉर्म–16 एक तालिका में प्रदर्शित होंगे। इस तालिका में फार्म को unblock करने हेतु एक–एक करके अथवा सभी फार्म को एक साथ select all का button click करके select कर सकते हैं, और नीचे दिये गये unblock the above selected form – 16 के बटन पर क्लिक करके चुने गये form-16 unblocked हो जायेंगे।

<u>(केवल विभागीय प्रयोग हेतु)</u>

e-Form 16 के जारी करने हेतु बनाई गयी यूटिलिटि में कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

पंजीकृत व्यापारी e-Form 16 को जारी कराने हेतु अपने login से request application देंगे जो कि अधिकारी के login account में प्राप्त हो जायेगी, जिसको कर निर्धारण अधिकारी अपने login id से निम्न प्रकार से निस्तारण करेंगे।

Step 1: e-Form 16 जारी करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने login id से login करने के उपरांत पेज में बांईं तरफ heading e-Form 16 issuance के option पर क्लिक करने पर निम्न options प्रदर्शित होंगे।

- Request received at sector officer.
- Unhold the request of form 16.
- Block form 16.
- Unblock form 16.

Step 2: कर निर्धारण अधिकारी फार्म जारी करने के लिये Option Request received at sector officer पर क्लिक करेगे। ऐसा करने पर list of form-16 request sending for approval की window खुल जायेगी, जिस पर application की detail प्रदर्शित होगी, जिसमें view का link क्लिक करने पर request information का पेज इसके नीचे खुल जायेगा, जिसके सबसे नीचे तीन रेडियो बटन

- accept
- reject
- hold

दिखाई देंगे, जिसकों अधिकारी आवश्यकतानुसार चयन करते हुये निम्नानुसार आगे की कार्यवाही करेंगे।

Step 3: (i) accept का चयन करने पर enter number of form to be issued का बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें अधिकारी दिये जाने वाले फार्म की संख्या अंकित करते हुये submit के बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार व्यापारी को फार्म जारी करने की request accept हो जायेगी और फार्म जारी हो जायेंगे।

(ii) request को reject करने के लिये reject के बटन पर क्लिक करने पर enter remark का बॉक्स खुल जायेगा। इस बॉक्स में अधिकारी द्वारा request reject करने का कारण देते हुये submit करने पर application reject हो जायेगी।

(iii) इसी प्रकार request hold का बटन क्लिक करने पर enter remark का बॉक्स खुल जायेगा जिसमें अधिकारी request hold करने का कारण लिखते हुये submit करेंगे तो application hold हो जायेगी।

Step 4: hold की गयी form-16 की application को unhold करने के लिये unhold the request of form-16 का विकल्प चुनने पर application kept on hold का page खुल जायेगा एवं hold पर रखी गयी समस्त application एक grid में प्रदर्शित होने लगेंगी। grid में प्रत्येक application के सामने view का लिंक दिया गया है, जिसको क्लिक करने पर enter remark का बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें अधिकारी unhold का कारण लिखते हुये unhold का बटन क्लिक करेंगे, तो request unhold हो जायेगी।

Step 5: जारी किये गये ऐसे e-Form 16 जो कि व्यापारी के account में हैं और जिनका प्रयोग नहीं हुआ है को block करने हेतु block form-16 का option चुनेंगे, जिससे block form-16 का पेज खुल जायेगा। जिसमें purchaser टिन संख्या को अंकित कर submit का बटन क्लिक करने पर समस्त form-16 जो purchaser को जारी हुये हैं, प्रदर्शित होने लगेंगे। फार्म block करने हेतु select all विकल्प के साथ एक–एक फार्म को चुनने का भी विकल्प दिया गया है। उपरोक्तानुसार select all अथवा चुने गये फार्म select करने पर नीचे block the above form-16 के बटन पर क्लिक करने पर Enter remark का बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें अधिकारी block करने का कारण लिखते हुये block button क्लिक करते ही selected form-16 block हो जायेंगे।

Step 6: Blocked form को unblock करने हेतु unblock from-16 पर क्लिक करेंगे। इससे unblock from-16 का page खुल जायेगा, जिसमें purchaser के टिन नं0 को बॉक्स में अंकित कर submit करने पर उस व्यापारी के जितने फार्म block किये गये हैं, उनकी तालिका खुल जायेगी, जिसमें एक–एक करके अथवा सभी फार्म को एक साथ select all का button click करके select कर सकते हैं, और नीचे दिये गये unblock the above selected form – 16 के बटन पर क्लिक करने पर enter remark का बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें अधिकारी blocked form को unblocked करने का कारण लिखकर नीचे दिये unblock का बटन क्लिक करने पर चुने गये form-16 unblocked हो जायेंगे।